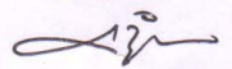


अधिसूचना

रिट याचिका (सिविल) 317/1993 टी0एम0ए0 पाई फाउण्डेशन व अन्य बनाम कर्नाटक राज्य व अन्य में मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 31.10.2002 तथा सिविल अपील संख्या 5041/2005 पी0ए0 इनामदार व अन्य बनाम महाराष्ट्र राज्य व अन्य में मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा दिनांक 12.08.2005 को पारित निर्णय में उल्लिखित आब्जर्वेशन एवं उ0प्र0 निजी व्यवसायिक शैक्षणिक संस्थान (प्रवेश का विनियमन और फीस का नियतन) अधिनियम 2006 की धारा-15(1) में उल्लिखित व्यवस्था के आलोक में प्रदेश में निजी क्षेत्र के मेडिकल/डेंटल कालेजों, निजी क्षेत्र के विश्वविद्यालयों द्वारा संचालित मेडिकल/डेंटल कालेजों, अल्पसंख्यक संस्थाओं एवं निजी क्षेत्र के अल्पसंख्यक विश्वविद्यालयों/डीम्ड विश्वविद्यालयों द्वारा संचालित एम0बी0बी0एस0 एवं बी0डी0एस0 पाठ्यक्रम में स्वीकृत अन्तर्ग्रहण के संबंध में श्री राज्यपाल महोदय निम्नलिखित नीति निर्धारित किये जाने की एतद्वारा स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

1. प्रदेश में संचालित निजी क्षेत्र के संस्थानों/कालेजों/डीम्ड विश्वविद्यालयों/विश्वविद्यालयों (अल्पसंख्यक संस्थानों को छोड़ते हुए) में एम0सी0आई0/डी0सी0आई0 द्वारा मान्यता प्राप्त प्रवेश क्षमता की 50 प्रतिशत की सीटों पर (प्रथम प्रवेश के आधार पर) राजकीय शुल्क (रू0-36000/-प्रतिवर्ष) लागू होगी। इन सीटों पर प्रवेश हेतु उत्तर प्रदेश का मूल निवासी होना अनिवार्य होगा।
 2. शेष 50 प्रतिशत सीटों (जिन्हें "नॉन-सब्सिडाईज्ड सीट" कहा जाएगा) पर उच्चतर शैक्षणिक शुल्क लागू किये जायेंगे, जिसका निर्धारण उत्तर प्रदेश फीस नियमन अधिनियम-2006 के अन्तर्गत फीस नियमन समिति द्वारा निर्धारित प्रति व्यक्ति शैक्षणिक शुल्क के आधार पर ऑगणित कुल शैक्षणिक शुल्क प्राप्ति में से सब्सिडाईज्ड सीटों से शुल्क प्राप्ति को घटाते हुए अवशेष धनराशि के आधार पर ऑगणित की जायेगी। इन सीटों पर प्रवेश हेतु राज्य का मूल निवासी होना आवश्यक नहीं होगा।
 3. उपरोक्त समस्त सीटें कम्बाईण्ड काउंसिलिंग के माध्यम से भरी जायेंगी।
 4. अल्पसंख्यक निजी संस्थानों के समस्त सीटों पर प्रवेश एवं फीस नियमन के सम्बन्ध में कार्यवाही सम्बन्धित संस्थानों द्वारा इस प्रकार से कराई जायेगी कि फीस का निर्धारण मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रतिपादित सिद्धान्तों के आधार पर हों तथा प्रवेश प्रक्रिया द्वारा उनके अल्पसंख्यक दर्जे पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े एवं संविधान के अनुच्छेद-30(1) के लाभ से वंचित न हों।
 5. समस्त निजी क्षेत्र के मेडिकल/डेंटल कालेजों/विश्वविद्यालयों/डीम्ड विश्वविद्यालयों/अल्पसंख्यक संस्थानों को सूचित किया जायेगा कि कैपिटेशन शुल्क वसूली की शिकायत प्राप्त होने पर अधिनियम की धारा-9(2) के अन्तर्गत कार्यवाही तथा अपराधिक कार्यवाही भी की जायेगी।
- 2- उपरोक्तानुसार निर्धारित नीति के अनुपालन में नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित की जाय।

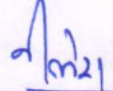
आज्ञा से,

(अरिन्दम भट्टाचार्य)
विशेष सचिव।

संख्या:-3740(1)/71-2-2016, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. प्रमुख सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तर प्रदेश।
2. प्रमुख सचिव, गृह विभाग/प्राविधिक शिक्षा विभाग/न्याय विभाग/वित्त विभाग/उच्च शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन।
3. प्रमुख सचिव/सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश।
4. प्रमुख स्टाफ आफीसर, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश।
5. महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उत्तर प्रदेश को इस आशय से प्रेषित कि कृपया उक्त निर्देशों से समस्त संबंधितों को आज ही संसूचित करने हेतु समस्त आवश्यक कार्यवाही एवं प्रबन्धन सुनिश्चित करने का कष्ट करें।
6. कुलपति, किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय, लखनऊ।
7. कुलपति, उत्तर प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, सैफई, इटावा।
8. कुलपति, निजी क्षेत्र के समस्त विश्वविद्यालय/डीम्ड विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश।
9. प्रधानाचार्य, निजी क्षेत्र के समस्त मेडिकल/डेंटल कालेज, उत्तर प्रदेश।
10. निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उत्तर प्रदेश लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि उक्त अधिसूचना को सरकारी गजट के असाधारण अंक में प्रकाशित कराने का कष्ट करें।
11. निदेशक, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, उत्तर प्रदेश लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि उक्त अधिसूचना को दिनांक 03.09.2016 के प्रमुख दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशित कराने का कष्ट करें।
12. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,


(नीलेश कुमार सिंह)
अनु सचिव।